राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा
निर्वाचन सदन, प्लाट नं0 2, सैक्टर 17
पंचकुला

क्रमांकः– रा0नि0आ0/1एम0ई0/2016/168 दिनांकः11.02.2016

सेवा में

उपायुक्त,
अंबाला ।

विषयः– नगरनिगम उप चुनाव, 2016 - मतदान केन्दों की स्थापना।

महोदय,

मुझे आपका ध्यान उपरोक्त विषय पर आकर्षित करने तथा यह कहने का निर्देश हुआ है कि नगरनिगम अंबाला के वार्ड नं04 के उप चुनाव दिनांक 06.03.2016 को होने निश्चित हुये है।

2. मुझे यह भी कहने का निर्दश हुआ है कि हरियाणा नगरनिगम निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 35(1) में निहित व्यवस्था के अनुसार रिटरनिंग अधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार मतदान केन्द्रों की स्थापना की जानी है। रिटरनिंग अधिकारी के प्रयोगार्थ हिदायतों में मतदान केन्द्रों की स्थापना बारे विस्तृत विधि दी गई है। अतः आपसे अनुरोध है कि सम्बन्धित रिटरनिंग अधिकारी को चुनावों के लिए आवश्यकतानुसार मतदान केन्द्रों की स्थापना तुरन्त करने हेतू आवश्यक निर्देश दिये जाए तथा स्थापित किए गए मतदान केन्द्रों का आपके माध्यम से आयोग से अनुमोदन प्राप्त किया जाए।

3. मुझे यह भी अनुरोध करने का निर्देश हुआ है कि स्थापित किये जाने वाले मतदान केन्द्र जहाँ तक सम्भव हो, केवल सरकारी भवनों में ही स्थापित किये जायें **(कोई भी मतदान केन्द किसी भी अस्तपताल व जच्चा बच्चा केन्द्र (डिलीवरी सैन्टर) में या उसके आस पास स्थापित न किया जाये)**, तथापि यदि ऐसा किया जाना सम्भव न हो तो उस स्थिति में प्राईवेट भवन/धर्मशाला के मालिक से इस बारे लिखित रूप से सहमति प्राप्त कर ली जाए और यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि चुनाव लड़ने वाले किसी उम्मीदवार अथवा उसके रिश्तेदार का उस भवन या संस्था से कोई सम्बन्ध नहीं है तथा इस सम्बन्ध में आयोग को भी सूचित करें।

भवदीय,

Parmal Singh

(परमाल सिंह)
सहायक राज्य निर्वाचन आयुक्त, हरियाणा